05 01/17

राजस्व आवेदन स.36/2016 अनवान लिखमाराम बनाम उतमाराम वगैरह

पत्रावली पेश हुई। **वकील** प्रार्थीगण उपस्थित। विप्रार्थीगण के नोटिस तामीलशुदा प्राप्त हुई है,जो शामिल मिसल हो। विप्रार्थीगण बावजुद नोटिस तामील के हाजिर नही होने पर उनके विरूद एकरतफा कार्यवाही अमल मे लाई जाती है। वकील प्रार्थीगण की आवेदन पत्र पर अंतिम बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थीगण ने कथन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम निम्बली पटवार क्षेत्र पायला खुर्द तहसील सिणधरी की खेत खसरा स.7 रकबा 28.00 बीधा भूमि अवस्थित है,जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है,प्रार्थीगण की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है।वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीगण की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा रहता है,इस कारण प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाना चाहते है,अतः ग्राम निम्बली पटवार क्षेत्र पायला खुर्द तहसील सिणधरी की खेत खसरा स.7 रकबा 28.00 बीधा भूमि की पक्की नेखमबंदी करने के आदेश फरमावे जावे।

हमने वकील प्रार्थीगणकी बहस पर मनन किया। पत्रांवली व सलंग्न राजस्व रिकार्ड का गम्भीरता पूर्वक अवलोकन किया गया।जिसमे पाया कि प्रार्थीगण विवादित भूमि के रिकार्डेड खातेदार है,तथा काश्त की सुविधा हेतु अपनी खातेदारी भूमि की नेखमबन्दी करवाना चाहते है,विप्रार्थीगण बावजूद नोटिस तामील होने के हाजिर नही हुए है,इससे प्रतीत होता है,कि विप्रार्थीगण को प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि की नेखमबन्दी किये जाने मे कोई आपति नही होगीं। ऐसी सूरत मे उक्त भूमि की नेखमबन्दी किये जाने मे कोई आपति प्रतीत नही होती है।

लिहाजा,प्रार्थीगण का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम निम्बली पटवार क्षेत्र पायला खुर्द तहसील सिणधरी की खेत खसरा स.7 रकबा 28.00 बीधा भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सिणधरी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है,उक्त कार्यवाही प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण को पूर्व मे जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे। कमिशनर फीस 500/प्रार्थीगण मौके पर अदा करेगे। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो। इस आशंय की तहरीर तहसीलदार सिणधरी को जारी हो।

पत्रावली फैसल–सुमार होकर दाखिल दप्तर हो।

05/01/17

उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,(एस.डी.ओ) सिणधरी

पीठासीन अधिकारी–श्री नाथूसिह राठौड़,आर.ए.एस

SPL-1

क्रमांक/रीडर/17/ दिनांक–04.01.2017

प्रार्थीगण बनाम विप्रार्थीगण

लिखमाराम पुत्र भारमलराम वगैरह
जाति जाट
निवासी निम्बली
तहसील सिणधरी व जिला बाड़मेर

उतामाराम पुत्र जोधाराम वगैरह
जाति दर्जी निवासी निम्बली,
तहसील सिणधरी व जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,करने नेखमबन्दी बाबत

राजस्व आवेदन संख्या–36/16 दिनांक–04.01.2017

उपरोक्त,प्रकरण.मे,ग्राम निम्बली पटवार क्षेत्र पायला खुर्द तहसील सिणधरी की खेत खसरा स.7 रकबा 28.00 बीधा भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सिणधरी को कमिशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त कार्यवाही प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण .को पूर्व मे जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर उनकी उपस्थिति मे की जावे। कमिश्नर फीस 500/प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा करेगा।

(नाथूसिह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी
दिनांक–04.01.2017

क्रमांक/रीडर/17/ SPL-2 to 5

प्रतिलिपि–

1 तहसीलदार सिणधरी
2 पटवारी हल्का पायला खुर्द,तहसील सिणधरी को भेजकर लेख है,कि निर्धारित तारिख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी लिखमाराम पुत्र भारमलराम वगैरह जाति जाट निवासी निम्बली तहसील सिणधरी व जिला बाड़मेर
4. विप्रार्थी उतामाराम पुत्र जोधाराम वगैरह जाति दर्जी निवासी निम्बली,तहसील सिणधरी व जिला बाड़मेर

उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

(नाथूसिह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

Scanned by CamScanner